

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-16/1390/एक-1-2017-24(42)/2014

लखनऊ: दिनांक: 01 नवम्बर, 2017

**अधिसूचना**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 4 के खण्ड (20) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित, जिला महाराजगंज की तहसील सदर, फरेन्दा, नौतनवां व निचलौल के वन ग्रामों का क्षेत्र जो स्तम्भ-5 में उल्लिखित वन ग्राम में सम्मिलित था, अब उससे अपवर्जित कर दिया जायेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ-6 में यथा उल्लिखित नये राजस्व ग्रामों में सम्मिलित किया जायेगा, और निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी विधि न्यायालय, जिसने उक्त वन ग्रामों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, में पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

**अनुसूची**

क्रम संख्या	कुल गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	तहसील का नाम जिसमें स्तम्भ-5 में उल्लिखित वन ग्राम व स्तम्भ-6 में उल्लिखित राजस्व ग्राम स्थित है।	वन ग्रामों का नाम जिसमें स्तम्भ-2 और स्तम्भ-3 में उल्लिखित भूमि स्थित है।	राजस्व ग्रामों का नाम जिसमें स्तम्भ-2 और स्तम्भ-3 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित की जायेगी।
1	2	3	4	5	6
1	10	128.109	फरेन्दा	खुर्रमपुर	लेहडा
2	4	74.736	फरेन्दा	भारीवैसी	मथुरा नगर
3	8	117.937	फरेन्दा	सूरपार टांगिया	सेमहरनी
4	10	67.176	नौतनवां	तिनकोनिया	लालपुर कल्यानपुर
5	7	53.323	नौतनवां	कांधपुर दर्ा	कांधपुर

6	7	14.78	नौतनवां	बेलौहा दर्रा	बैलोहाघाट
7	9	147.557	नौतनवां	अचलगढ	कोल्हुआ उर्फ सिहोरवां
8	1	94.748	नौतनवा	वीट नर्सरी	बरगदवांराजा
9	2	161.608	सदर	उसरहा नर्सरी	कटहरा
10	1	40.307	सदर	चेतरा	जगपुर उर्फ सलामतगढ
11	6	59.116	सदर	हथियहवा	सोनाडी
12	7	69.042	सदर	बलुअहिया	सोनाडी
13	4	218.866	सदर	बरवाचन्दन चाफी	चन्दन चाफी
14	4	81.837	सदर	बेलासपुर	बेलासपुर
15	1	38.288	सदर	दौलतपुर	दौलतपुर
16	1	67.272	निचलौल	कम्पार्ट नं0 24	सेमरा कम्हरिया उर्फ तुलसीपुर
17	2	102.001	निचलौल	कम्पार्ट नं0 26 व 27	परसा
18	1	110.445	निचलौल	कम्पार्ट नं0 28	चन्दनपुर

- राजस्व ग्राम खुरमपुर में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
  - उत्तर-पश्चिम लेहडा कम्पार्ट संख्या 1 बी, 2
  - दक्षिण-सूरपार वन टांगिया, पश्चिम लेहडा कम्पार्ट संख्या 6, 1 सी
  - पूरब-पश्चिम लेहडा कम्पार्ट संख्या 2
  - पश्चिम-पश्चिम लेहडा कम्पार्ट संख्या 3
- राजस्व ग्राम भारीवैसी में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
  - उत्तर-कम्पार्ट संख्या 1 ए
  - दक्षिण-सड़क पी0डब्लू0डी0 कैम्पियरगंज-परतावल
  - पूरब-कलान नाला (वन विभाग)
  - पश्चिम-राष्ट्रीय राजमार्ग गोरखपुर-सोनौली
- राजस्व ग्राम जंगल सूरपार में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
  - उत्तर-वन टांगिया ग्राम खुरमपुर (कम्पार्ट संख्या-2)
  - दक्षिण-पश्चिम लेहडा कम्पार्ट संख्या 8
  - पूरब-सीमा ग्राम सेमहरनी
  - पश्चिम-पश्चिम लेहडा कम्पार्ट संख्या 6

4. राजस्व ग्राम तिनकोनिया में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
  - (1) उत्तर-जंगल वन विभाग
  - (2) दक्षिण-जंगल वन विभाग
  - (3) पूरब-जंगल वन विभाग
  - (4) पश्चिम-जंगल वन विभाग
5. राजस्व ग्राम कांधपुर दर्रा में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
  - (1) उत्तर-जंगल सरकारी वन विभाग
  - (2) दक्षिण-जंगल सरकारी वन विभाग
  - (3) पूरब- गांव कांधपुर
  - (4) पश्चिम-बेलौहा दर्रा
6. राजस्व ग्राम बेलौहा दर्रा में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
  - (1) उत्तर-जंगल सरकारी वन विभाग
  - (2) दक्षिण-जंगल सरकारी वन विभाग
  - (3) पूरब-कांधपुर दर्रा
  - (4) पश्चिम-जंगल सरकारी वन विभाग
7. राजस्व ग्राम अचलगढ में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
  - (1) उत्तर-जंगल वन विभाग
  - (2) दक्षिण-जंगल वन विभाग
  - (3) पूरब-जंगल वन विभाग
  - (4) पश्चिम-ग्राम कोल्हुआ उर्फ सिहोरवा, जंगल वन विभाग
8. राजस्व ग्राम वीट नर्सरी में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
  - (1) उत्तर-जंगल दुधई
  - (2) दक्षिण-दुधईजंगल
  - (3) पूरब-दुधईजंगल
  - (4) पश्चिम-दुधईजंगल
9. राजस्व ग्राम उसरहा नर्सरी में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
  - (1) उत्तर-सीमा ग्राम कटहरा खास
  - (2) दक्षिण-जंगल सरकारी

- (3) पूरब-सीमा राजस्व ग्राम कटहरा खास  
(4) पश्चिम-जंगल सरकारी
10. राजस्व ग्राम चेतारा में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-  
(1) उत्तर- दुधईजंगल  
(2) दक्षिण-दुधईजंगल  
(3) पूरब-दुधईजंगल  
(4) पश्चिम-दुधईजंगल
11. राजस्व ग्राम हथियहवा में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-  
(1) उत्तर-जंगल सोनारी साखू सागौन बादहू तहसील नौतनवा की भूमि  
(2) दक्षिण-जंगल सोनारी साखू सागौन बादहू तहसील सदर की भूमि  
(3) पूरब- जंगल सोनारी साखू सागौन बादहू वन ग्राम कम्पार्ट नं0 24 तहसील निचलौल  
(4) पश्चिम-जंगल सोनारी साखू सागौन बादहू तहसील नौतनवा की भूमि
12. राजस्व ग्राम बलुअहिया में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-  
(1) उत्तर-जंगल सोनारी साखू सागौन बादहू तहसील नौतनवा की भूमि  
(2) दक्षिण-जंगल सोनारी साखू सागौन बादहू तहसील सदर की भूमि  
(3) पूरब- जंगल सोनारी साखू सागौन बादहू वन ग्राम कम्पार्ट नं0 27 तहसील निचलौल  
(4) पश्चिम-जंगल सोनारी साखू सागौन बादहू तहसील सदर की भूमि
13. राजस्व ग्राम बरवाचन्दन चाफी में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-  
(1) उत्तर-ग्राम शिकारपुर गैरआबाद जंगल  
(2) दक्षिण-राजस्व ग्राम चन्दन चाफी बादहू अन्ध्या  
(3) पूरब-राजस्व ग्राम चन्दन चाफी बादहू मिर्जापुर पकड़ी तथा गोविन्दपुर  
(4) पश्चिम-राजस्व ग्राम चन्दन चाफी (साखू जंगल बादहू दौलतपुर)
14. राजस्व ग्राम बेलासपुर में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-  
(1) उत्तर-परतावल से पनियरा जाने वाली सड़क वन विभाग की भूमि  
(2) दक्षिण-वन विभाग की भूमि जिसमें साखू सागौन के जंगल हैं बादहू राजस्व ग्राम मठिया  
(3) पूरब- ग्राम बेलासपुर के खातेदारों की कृषि बादहू वासपांर अन्ध्या

- (4) पश्चिम-वन विभाग की भूमि जिसमें बेत बादहू जंगल नं0 3
15. राजस्व ग्राम दौलतपुर में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
- (1) उत्तर-बांकी जंगल सरकारी
  - (2) दक्षिण-बांकी जंगल नं0 8
  - (3) पूरब-तिवारीपुर उर्फ बांकी जंगल नं0 11
  - (4) पश्चिम-वभनौली माफी उर्फ बांकी जंगल नं0 11
16. राजस्व ग्राम कम्पार्ट नं0 24 में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
- (1) उत्तर-वन भूमि
  - (2) दक्षिण-वन भूमि
  - (3) पूरब-वन भूमि वादहू ग्राम सेमरा कम्हरिया उर्फ तुलसीपुर
  - (4) पश्चिम-वन भूमि
17. राजस्व ग्राम कम्पार्ट नं0 26 व 27 में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
- (1) उत्तर-वन ग्राम कम्पार्ट नं0 28
  - (2) दक्षिण-वन भूमि बादहू ग्राम परसा
  - (3) पूरब-वन भूमि बादहू ग्राम सिहुली गैर आवाद
  - (4) पश्चिम-वन भूमि
18. राजस्व ग्राम कम्पार्ट नं0 28 में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
- (1) उत्तर-वन भूमि
  - (2) दक्षिण-वन भूमि कम्पार्ट नं0 26 व 27
  - (3) पूरब-वन भूमि वादहू ग्राम चन्दनपुर
  - (4) पश्चिम-वन भूमि

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)

प्रमुख सचिव।

[shasanadesh.up.nic.in](http://shasanadesh.up.nic.in)